रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112022-240432 CG-DL-E-19112022-240432

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595] No. 595] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली,18 नवम्बर, 2022

फा.सं. पीएनजीआरबी/वाणि.//2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2019 खंड-IV (पी-4121).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 11 और धारा 22 के खंड (क) और (ड़) और भारत के राजपत्र में, असाधारण, भाग-I धारा 1 में फा सं. एल-12022/1/03-जीपी (पं II) दिनांक 20-12-2006 को अधिसूचित भारत सरकार के प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण के विकास के लिए नीति के पैराग्राफ 14 के साथ पठित धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय गैस ग्रिड के निर्माण की सुविधा के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है, अर्थात्:—

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करता है:

- i. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम,
 2008 के ये विनियम इनकी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे,
 - क) विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खण्ड (खक), खण्ड (ड़क), खण्ड (ड़ख), खण्ड (ड़ग), खण्ड (ञ), खण्ड (ट), खण्ड (ठ), खण्ड (ड) और खंड (ढ़),
 - ख) विनियम 3 के उप-विनियमन (4) और उप-विनियमन (5),
 - ग) अनुसूची ख के पैरा 5, 6 और 7,

7700 GI/2022 (1)

- घ) अनुसूची ख का भाग ख, अनुसूची ख के अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2
- ii. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 के ये विनियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे,
 - क) विनियम 5क,
 - ख) अनुसूची ख के भाग क के पैरा 1, 2, 3 और 4
 - ग) अनुसूची ग

अनिल कुमार गर्ग, संयुक्त सलाहकार (प्रशा.)

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2022

F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3) /2019 Vol-IV (P-4121).—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (2) of section 61, read with clauses (a) and (e) of section 11 and section 22 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006) and paragraph 14 of the Policy for Development of Natural Gas Pipelines and City or Local Natural Gas Distribution Networks of the Government of India notified on 20.12.2006 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I Section 1 with F. No. L-12022/1/03-GP (Pt. II) to facilitate the creation of a National Gas Grid, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board issues the following notification, namely:—

Except as otherwise provided in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, hereby notifies the following:

- i. These regulations of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008 shall come into force from the date of this notification,
 - a) clause (ba), clause (ea), clause (eb), clause (ec), clause (j), clause (k), clause (l), clause (m) and clause (n) of sub regulation (1) of regulation 2,
 - b) sub-regulation (4) and sub-regulation (5) of regulation 3,
 - c) para 5, 6 and 7 of Schedule B,
 - d) part B of Schedule B, Attachment 1 & Attachment 2 to Schedule B
- ii. These regulations of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008 shall come into force from 1st April, 2023,
 - a) regulation 5A,
 - b) para 1, 2, 3 & 4 of Part A of Schedule B
 - c) schedule C

ANIL KUMAR GARG, Jt. Adviser (Admin)